

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

निदेशक, (कृ.श्र.) निदेशालय ।
उप श्रमायुक्त, बेगूसराय/ भागलपुर ।
सहायक श्रमायुक्त, सारण।
श्रम अधीक्षक, बक्सर/नवादा/ मधुबनी-01 ।

पटना, दिनांक- 6-3-19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-
मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र
कोड-26-2230011010007) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के
निमित्त निम्नलिखित कार्यालय को निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	01-वेतन				13 कार्यालयी व्यय	योग-26-2230. 01.101. 0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन
		0007.01. 01 वेतन	0007.01. 03 जीवन यापन भत्ता	0007.01.04 मकान किराया भत्ता	योग-26-2230. 01.101.0007. 01-वेतन	0007.13. 01 कार्यालय व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निदेशक, निदेशालय कृ.श्र.	90000	60000	20000	170000	-	170000
2	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	-	-	-	0	30000	30000
3	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	250000	150000	47000	447000	-	447000
पत्रांक-194 दि.-22.2.19 के आलोक में							
4	श्रम अधीक्षक, बक्सर	250000	150000	100000	500000	-	500000
5	सहायक श्रमायुक्त, सारण	700000	500000	300000	1500000	-	1500000
6	श्रम अधीक्षक, नवादा	400000	250000	150000	800000	-	800000
7	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	750000	550000	200000	1500000	-	1500000
	योग	2440000	1660000	817000	4917000	30000	4947000

कुल आवंटित राशि ₹ 49,47,000/- (₹ उनचास लाख सैतालिस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक- 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

5. लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1126/लोक दिनांक-1.2.19 के आलोक में ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. से संबंधित मामलों में वित्त विभाग का परामर्श लिया जाना अभी शेष है, इस कारण से उक्त प्रकार के किसी भी बकाया राशि की निकासी प्रेषित आवंटन से नहीं किया जाय।
6. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी.भी. नं. तथा तिथि के साथ विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
8. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(Handwritten Signature)
06/03/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/बी3-101/18 श्र.सं.

159

पटना, दिनांक 6-3-19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)
06/03/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

* स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/बी3-101/18 श्र.सं.-

159

पटना, दिनांक 6-3-19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)
06/03/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।